

निःशुल्क प्रकाशनार्थ

## आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)(2)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020-21/ 359

दिनांक- 13-8-21

### प्रेस-नोट

राजस्थान सरकार द्वारा घोषणा अनुरूप आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा संचालित कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30.04.2021 थी। छात्रा/अभिभावक/महाविद्यालय से प्राप्त सुझाव अनुसार छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए उक्त योजना में सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) (माध्यमिक शिक्षा विभाग की छात्राओं एवं अनुसूचित जाति (SC) (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) की छात्राओं हेतु ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 31.08.2021 की जाती है।

योजना से संबंधित नियम, दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in> के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है।

(संदेश संपादक, आई.ए.एस.)

आयुक्त  
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,  
जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)(2)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020-21/ 360 दिनांक- 13-8-21  
प्रतिलिपि :- सम्पादक, राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्योति में छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए आगामी अंक में प्रकाशित करने का श्रम करें।

आयुक्त  
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,  
जयपुर

# आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)(2) / लेखा / आकाशि / छा.ऑनलाईन / 2020-21 / 358

दिनांक : 13-8-21

## छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन

राजस्थान स्थित महाविद्यालयों में अध्ययनरत निम्नलिखित योजना की सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की छात्राओं (माध्यमिक शिक्षा विभाग) एवं अनुसूचित जाति (SC) (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) की छात्राओं हेतु विभागीय वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> पर ऑनलाईन आमंत्रित किये गये थे जिनकी तिथि में निम्नानुसार अभिवृद्धि की जाती है—

क्र. सं.	छात्रवृत्ति का नाम	वर्ष	पोर्टल प्रारम्भ तिथि	पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि
1	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की छात्राओं (माध्यमिक शिक्षा विभाग) एवं अनुसूचित जाति (SC) (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) की छात्राओं हेतु	2020-21	01.03.2021	31.08.2021

योजना से संबंधित नियम, दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्रा/छात्राध्यापिका/अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देश, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें।

जिन विद्यार्थियों को उनके महाविद्यालय पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। वे अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें।

जिन महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है। वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

(संदेश नायक, आई.ए.एस.)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर